VTS Manager/Supervisor.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 2013/श्रावण 9, 1935

No. 382] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 2013/SRAVANA 9, 1935

पोत परिवहन मंत्रालय

(दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय)

अधिसूचना

नौएडा, 26 जुलाई, 2013

सा.का.नि. 518(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में जलयान यातायात सेवा प्रबंधक और जलयान यातायात सेवा पर्यवेक्षक के परिचालन पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वें होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन / वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. जलयान यातायात सेवा प्रबंधक	01(2013)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड – 4 37400– 67000 ₹ ग्रेड वेतन 8700 ₹	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रोन्नति :– वेतन बैंड –3, 15600 – 39100 ₹+ ग्रेड वेतन 7600 ₹ में ऐसे जलयान यातायात सेवा पर्यवेक्षक जिन्होंने पॉच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1.– वेतन बैंड–3, 15600–39100₹+ ग्रेड वेतन 7600₹ में ऐसे जलयान यातायात सेवा पर्यवेक्षक को जलयान यातायात सेवा प्रबंधक के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र होने के लिए इंटरनेशनल एशोसिएशन ऑफ मेरीन एड्स टू नेवीगेशन एंड लाइटहाउस आर्थॉरिटी आईएएलए V 103/4 एक सप्ताह के प्रशिक्षक प्रशिक्षण में हिस्सा लेना होगा और सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना होगा। टिप्पण 2.– जहॉं ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यकितयों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो। टिप्पणी 3.– प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	समूह 'क', विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष ; 2. संयुक्त सचिव (नौ0), भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय – सदस्य 3. महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय – सदस्य	किसी अधिकारी की प्रतिनयुक्ति पर नियुक्ति करते समय (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

	<u>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)</u> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत निकाय या अधीनस्थ कार्यालयों के अधीन ऐसे अधिकारी (क) (I) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (II) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड –3, 15600 – 39100 ₹+ ग्रेड वेतन 7600 ₹ में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पॉच वर्ष नियमित सेवा की है : और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं – आवश्यक : (I) मास्टर (विदेश जाने वाले) के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र धारक। (II) समुद्र सेवा में पॉच वर्ष का अनुभव जिसमें से विदेशगामी पोतों में कमांड का एक वर्ष का अनुभव। (समुद्र सेवा से किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अभिप्रेत है जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन परिभाषित घरेलू व्यापार या विदेशगामी पोतों में दोनों में से कोई एक पर समुचित सेवोन्मुक्ति का चालू प्रमाणपत्र धारण किए हुए हैं) वांछनीय : पत्तन में अनुज्ञप्त चालक के रूप में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1.– पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 .– प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पॉच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 .– प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु– सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4 .– प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहॉ एक से अधिक पूर्व – पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहॉ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. जलयान यातायात सेवा पर्यवेक्षक	04 (2013)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड– 3 15600 – 39100 ₹ + ग्रेड वेतन 7600 ₹	लागू नहीं होता।	आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण 1.– केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पॉच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2.– आयु – सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू– कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	आवश्यक :– (I) मास्टर नियर कोस्टल वेसल (एन.सी.वी) के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र धारक। (II) समुद्र सेवा में पॉच वर्ष का अनुभव जिसमें से नियर कोस्टल वेसल (एन.सी.वी) के चीफ आफिसर के रूप में एक वर्ष का अनुभव। (II) समुद्र सेवा में पॉच वर्ष का अनुभव जिसमें से विदेशगामी पोतों में कमांड का एक वर्ष अनुभव। (समुद्र सेवा से किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अभिप्रेत है जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन परिभाषित घरेलू व्यापार या विदेशगामी पोतों में दोनों में से कोई एक पर समुचित सेवान्मुक्ति का चालू प्रमाणपत्र धारण किए हुए है)। टिप्पण 1.– अर्हताएं, अन्यथा सुअर्जित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2.– अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। वांछनीय :– (I) पत्तन में अनुज्ञप्त चालक के रूप में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव। (II) इंटरनेशनल एसोशिएसन ऑफ मेरीन एड्स टू नेवीगेशन एंड लाइटहाउस आर्थारिटी (आईएएलए) ट्रेनिंग मोड्यूल v-103/1,v-103/2 और v-103/3 पूरा किया हो। (III) जलयान यातायात सेवा प्रणाली के प्रचालन का अनुभव हो।

3341 GI/13-2

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्प कालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत निकाय या अधीनस्थ कार्यालयों के अधीन ऐसे अधिकारी (क) (I) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (II) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड –3, 15600 – 39100 ₹ + ग्रेड वेतन 6600 ₹ में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पॉच वर्ष सेवा की है, या (III) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड –3, 15600 – 39100 ₹+ ग्रेड वेतन 5400 ₹ में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उसी श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है, और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता है। टिप्पण 1 .– प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित साधारणतया पॉच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 .– प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु– सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 .– प्रतिनियुक्ति के अधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहॉ एक से अधिक पूर्व – पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहॉ यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन / वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन / वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	पुष्टि के संदंध में विचार करने के लिए समूह 'क', विभागीय प्रोन्नति समिति :– 1. सचिव, भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय – अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (नौ0), भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय – सदस्य 3. महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय – सदस्य	किसी अधिकारी की सीधी भर्ती करते समय और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 3/8/2006/प्रशा. I]

कैप्टन ए. एम. सूरज, महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत

MINISTRY OF SHIPPING

(Directorate General of Lighthouses and Lightships)

NOTIFICATION

Noida, the 26th July, 2013

G.S.R.518(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Operational posts of Vessel Traffic Service Manager and Vessel Traffic Service Supervisor in the Ministry of Shipping, Directorate General of Lighthouses and Lightships, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Shipping, Directorate General of Lighthouses and Lightships, (Group 'A' posts), Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification pay band and grade pay or pay scale - The number of the said posts, their classification and pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.– The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification. – No person -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Pay band and grade pay/pay Scale.	Whether selection or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Vessel Traffic Service Manager.	01* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-4 ₹ 37400-67000 plus grade pay ₹ 8700.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By Promotion failing which by deputation (Including short term contract).	**Promotion:-** Vessel Traffic Service Supervisor **in pay band-3 ₹ 15600-39100 plus grade pay ₹ 7600 with** five years regular service. Note 1.- Vessel Traffic Service Supervisor in Pay Band-3, ₹ 15600-39100 plus grade pay ₹7600 shall undergo International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities IALA V 103/4 Instructor Training of one week and successfully pass the training to become eligible for promotion to the post of Vessel Traffic Service Manager. **Note 2 .** - Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 3.**- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission. **Deputation (Including short term contract)** **Officers under the Central Government or State Government or Universities or Recognised Research Institution or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies and Subordinate Offices:** (a) i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of ₹ 15600-39100 in PB-3 with grade pay of ₹ 7600 or equivalent in the parent cadre or department; and	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) Consisting of: 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Joint Secretary (S) to the Government of India, Ministry of Shipping, - Member; 3. Director General of Lighthouses and Lightships - Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (Including short term contract).

341 GI/13-3

	(b) possessing the following qualifications- **Essential**: (i) Certificate of Competency as Master (Foreign going). (ii) Five years experience of Sea Service of which one year should be in command of Foreign going ships. (Sea service means the duties performed by an individual holding the appropriate Continuous Discharge Certificate either on home trade or foreign going ships defined under Merchant Shipping Act 1958). **Desirable**: Three years experience of working as a Licensed Pilot in a Port. Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2.- The Period of deputation including period of deputation including short term contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of Central Government shall not exceed five years. Note 3.- The maximum age limit for appointment by deputation including short term contract shall not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. Note 4.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Vessel Traffic Service Supervisor.	04 * (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band -3 ₹15600-39100 plus grade pay ₹ 7600.	Not applicable.	Not exceeding 50 years. Note 1.- Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2. - The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam Meghalaya Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	**Essential:-** (i) Certificate of Competency as **Master** *Near Coastal Vessel* (N.C.V.). (ii) Five years Sea-service. of which one year should be as the Chief Officer of the *Near Coastal Vessel*(N.C.V.), (Sea service means the duties performed by an individual holding the appropriate Continuous Discharge Certificate either on home trade or foreign going ships defined under Merchant Shipping Act 1958). Note 1 .- Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2.- The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Schedule Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Desirable :-** (i) One year experience of working as a Licensed Pilot in a Port. (ii) Having completed the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) training module V-103/1,V-103/2 &V-103/3. (iii) Experience in operation of Vessel Traffic Service system.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	One year for direct recruits.	By Direct Recruitment failing which by Deputation (Including short term contract).	<u>**Deputation (Including short term contract)**</u> **Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Universities or Recognized Research Institution or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies and Subordinate Offices:** A) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of ₹15600-39100 in PB-3 with grade pay of ₹6600 or equivalent in the parent cadre/department; or (iii) with Eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of ₹ 15600-39100 in PB-3 with grade pay of ₹5400 or equivalent in the parent cadre/department; and B) possessing the educational qualification prescribed for direct recruits in column (7). Note 1.- The Period of deputation including short term contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of Central Government shall ordinarily not to exceed five years. Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation including short term contract shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale and where this benefit will extend only for the post or posts for which that Grade Pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Group 'A' Departmental Promotion Committee, for Considering confirmation: 1. Secretary to the Government of India, Ministry of Shipping - Chairman 2. Joint Secretary (S) to the Government of India, Ministry of Shipping - Member 3. Director General of Lighthouses and Lightships - Member	Consultation with UPSC necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation including short term contract.

[F.No.3/8/2006-Admn-I]

Capt. A M SUREJ, Director General of Lighthouses and Lightships

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064